

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ ५-३७ / २०२३ / १०-२
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक १९ / १२ / २०२३

१ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-१९, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

२ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-१९, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.462 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- १.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
२.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
३.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-852/1883, दिनांक 08.08.2023 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-852/2321, दिनांक 04.10.2023।

—००—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :—

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	खोंड गेम रेंज	खोंड	आरक्षित वन	909	2371.15	0.5	0.119
2				खोंड	आरक्षित वन	910	2419.130	0.5	0.121
3				खोंड	आरक्षित वन	911	64.274	0.5	0.003
4				खोंड	आरक्षित वन	914	2009.040	0.5	0.100
5				अरचोका	आरक्षित वन	928	27.460	0.5	0.001
6				अरचोका	आरक्षित वन	929	81.965	0.5	0.004
7				ईंजानी	आरक्षित वन	879	192.092	0.5	0.010
8				टमकी	आरक्षित वन	880	404.480	0.5	0.020
9				टमकी	आरक्षित वन	882	1061.660	0.5	0.053
आरक्षित वन भूमि का योग									0.431
10	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	खोंड गेम रेंज	खोंड	संरक्षित वन	P227	1315.43	0.5	0.066
11				छतौली	संरक्षित वन	P228	1723.84	0.5	0.086
12				खोंड	संरक्षित वन	P897	907.194	0.5	0.045
13				खोंड	संरक्षित वन	P899	1652.450	0.5	0.083

८७४-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
14				खोड़	संरक्षित वन	P900	1446.770	0.5	0.072
15				पासल	संरक्षित वन	P226	1248.140	0.5	0.062
16				ईजानी	संरक्षित वन	P223	5196.470	0.5	0.260
17				ईजानी	संरक्षित वन	P224	839.235	0.5	0.043
18				ईजानी	संरक्षित वन	P225	2216.440	0.5	0.111
19				टमकी	संरक्षित वन	P884	2025.500	0.5	0.101
20				टमकी	संरक्षित वन	P885	1250.050	0.5	0.063
संरक्षित वन भूमि का योग								0.992	
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	सूरजपुर	एलीफेंट रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य	ओड़गी	खोड़	राजस्व वन	1	193.229	0.5	0.010
2				खोड़	राजस्व वन	7	89.170	0.5	0.004
3				खोड़	राजस्व वन	9	97.952	0.5	0.005
4				खोड़	राजस्व वन	11	113.967	0.5	0.005
5				खोड़	राजस्व वन	714	58.685	0.5	0.003
6				खोड़	राजस्व वन	716	91.946	0.5	0.006
7				ईजानी	राजस्व वन	317	135.618	0.5	0.006
राजस्व वन भूमि का योग								0.039	
कुल योग							29233.337 (29.233K.M.)	0.5	1.462

उक्त 29.33 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.462 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.431 हे., संरक्षित वन भूमि 0.992 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.039 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.462 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे. तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।
- (अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक /202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दि.18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

- (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।
6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्नि को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।
9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
13. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत् उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

१८५१८

17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।
21. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
22. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।
23. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।
24. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जावेंगे।
25. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।
26. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
27. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.
28. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.
29. No labor camp should be constructed within the Elephant Reserve or forest area.

२४३४८

30. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेंगे जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

राज्यपाल
15/12/23
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 / 12 / 2023

पृष्ठांक/एफ 5-37/2023/10-2

प्रतिलिपि :-

- वनमहानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
- वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
- उप निदेशक, एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
- आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

राज्यपाल
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग